<u>न्यायालयः—भीष्म प्रसाद पाण्डेय सत्र न्यायाधीश महासमुन्द(छ.ग.)</u>

CNR- CGMA 01-001667-2022
जमानत याचिका क्रं: 884/2022

संकेत इंगोले उम्र 25 वर्ष पिता देवेन्द्र इंगोले
निवासी ईमलीभाठा महासमुंद
थाना, तहसील व जिला महासमुंद (छ.ग.)

———<u>आवेदक/अभियुक्त</u>

<u>विरूद्ध</u>

छ.ग. राज्य
द्वारा— सिटी कोतवाली महासमुंद
जिला महासमुंद (छ.ग.)

<u>——————अनावेदक/अभियोजन</u>

————————————————————————————————————

14/10/2022 आवेदक/अभियुक्त संकेत इंगोले की ओर से श्री प्रलय थिटे अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक छ.ग. राज्य द्वारा श्री विनोद शर्मा अतिरिक्त लोक अभियोजक उपस्थित।

02. आवेदक/अभियुक्त ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा—438 के अन्तर्गत आवेदन पेश कर थाना सिटी कोतवाली महासमुंद के अपराध क्रमाक 392/2022 अंतर्गत धारा 294,506,323,392,34 भा.द.वि. में आवेदक/अभियुक्त को गिरफतार किए जाने की संभावना है। आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, कोई अपराध कारित नही किया है। दिनांक 09/09/2022 को गणेश विसर्जन के दौरान जुलुस में प्रार्थी का कुछ नवयुवकों से विवाद हुआ था, जिसमें स्वंय के खींचातानी में उसके गले का सोने का चैन गिर गया था। प्रार्थी राजनैतिक रूप से प्रभावशाली है, जिसके दबाव के कारण प्रकरण को गंभीर बनाने के

उद्देश्य से मामले में धारा 392 अथवा 394 भा.द.वि. जोडी गई है। आवेदक/अभियुक्त 25 वर्षीय युवा होकर छात्र है तथा रोजगार के लिए प्रयासरत है तथा महासमुंद का स्थानीय निवासी है। गिरफतार किए जाने से माप प्रतिष्ठा को आघात पहुचेगा तथा मानसिक और आर्थिक व शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अधिरोपित धारा आजीवन कारावास अथवा मृत्युदण्ड से दण्डनीय नही हैं एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय है। आवेदक/अभियुक्त जमानत के समस्त शर्तो का पालन करने तत्पर हैं। अतः अग्रिम जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया गया है।

03. जमानत आवेदन के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त ने स्वंय का शपथ पत्र पेश की है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत यह प्रथम जमानत याचिका है, इसके अतिरिक्त इस धारा के तहत् अन्य कोई जमानत आवेदन अन्य किसी न्यायालय या माननीय छ.ग उच्च न्यायालय बिलासपुर के लम्बित नही है और न ही निराकृत हुआ है, इसी शपथ पत्र के द्वारा अधिवक्ता नियुक्ति का भी समर्थन किया गया है।

04. जमानत आवेदन पत्र पर उभयपक्ष को सुना गया। थाना सिटी कोतवाली महासमुंद से प्राप्त केस डायरी का अवलोकन किया गया ।

05. आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत आवेदन पर तर्क किया गया है कि गणेश उत्सव विर्सजन के दौरान हुए घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसमें खीचातानी में गले के सोने का चैन गिर जाना बताया है। राजनैतिक द्वेशवश बाद में धारा 392 भा.द.वि. से सम्बधित अपराध झुठे तौर पर जोड़ा गया है। 25 वर्षीय नवयुवक है, आपराधिक रिकार्ड नही है। साधारण घटना थी। अधिरोपित शर्तो को मानने के

लिए तैयार है, अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया गया है।

06. अतिरिक्त लोक अभियोजक ने तर्क किया है कि राजा साहू आवेदक/अभियुक्त एवं अन्य साथियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिसकी विवेचना की जा रही है। प्रार्थी सहित घटना में उपस्थित साक्षियों के केस डायरी कथन में आवेदक/अभियुक्त की घटना में गंभीर प्रकृति के अपराध में संलिप्तता बताई गई है, से अग्रिम जमानत की प्रार्थना का विरोध किया गया है।

07. थाना सिटी कोतवाली महासमुंद के अपराध क्रमांक 392/2022 धारा–294, 323, 506, 34, 392, 427 भा.द.वि. की प्राप्त केस डायरी अनुसार दिनांक 09/09/2022 के रात्रि लगभग 10:30 बजे शंकर साहू के साथ प्रार्थी विष्णु साहू डस्टर कार से ईमली भाठा जाते समय बग्गा स्टोर्स के पास पहुचा था उसी समय राजा साहू अपने अन्य साथियों के साथ कार में आकर अन्य कार वालो से वाद–विवाद कर रहा था जिसे मना करने पर राजा साहू और उसके साथी गाली गुप्तार कर हाथ मुक्के से मारपीट कर चोट पहुचाए, जान से मारने की धमकी दिए, खीचातानी में गले के सोने का चैन गिर गया, आशीष साहू, दीपक साहू, बीच बचाव किए।

08 प्रार्थी विष्णु साहू का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है तथा प्रार्थी सहित दीपक साहू आशीष साहू शंकर लाल साहू के केस डायरी कथन लिए गये है। जिन्होने राजा साहू के साथी संकेत इंगोले एवं संजय साहू उनकी कार के बोनट पर चढ़कर गाली गुप्तार करने सहित कार की तोड़फोड़ किए, बताया गया है से आवेदक/अभियुक्त की घटना के समय उपस्थिति एवं संलिप्तता बताई गई है। प्रकरण में

अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही है, विवेचना के इस स्तर पर संज्ञेय गंभीर प्रकृति के अपराध कारित किए जाने का आवेदक/अभियुक्त सहित अन्य के विरूद्ध घटना में संलिप्त होना प्रकट किया गया है।

09 केस डायरी की सामग्री से अग्रिम जमानत में छोड़े जाने योग्य यह उपयुक्त मामला होना दर्शित नही हो रहा है। अतः आवेदक/अभियुक्त संकेत इंगोले की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा. 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता निरस्त किया जाता है।

10. जमानत आदेश की प्रति के साथ केस डायरी थाना सिटी कोतवाली महासमुंद जिला महासमुंद को सूचनार्थ भेजी जावे।

11. परिणाम दर्ज कर, प्रकरण नियत अवधि में अभिलेखागार भेजा जावे ।

सही/–
(भीष्म प्रसाद पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश,
महासमुन्द (छ.ग.)

<u>प्रतिलिपिः–</u>

थाना सिटी कोतवाली महासमुंद जिला महासमुन्द को उनके अपराध क्रमॉकः 392/2022 धारा–294, 323, 506, 34, 392, 427 भा.द.वि. की केसडायरी के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

सही/–
(भीष्म प्रसाद पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश,
महासमुन्द (छ.ग.)